न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–111 / 2026

गीता देवी वगैरह बनाम् बिहार सरकार

महनार थाना कांड संख्या–359 / 2025

अधीन धारा–103(1), 123, 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not Official

05-06-2026 महनार थाना कांड संख्या–359 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–103(1), 123, 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदिकागण **गीता देवी उम्र–45 वर्ष पति–गणेश राय एवं सरिता देवी उम्र–38 वर्ष पति–रामबाबू राय** दोनों साकिन–इसहाकपुर, थाना–महनार जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता **श्री प्रवीण कुमार** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्याम बाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदिकागण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–20.09.2025 को समय करीब 03.00 बजे दिन में सूचक राकेशा कुमार की मां शीला देवी को पड़ोसी मीना देवी उसके घ ार के दरवाजे पर लेकर आयी। मृतिका के मुंह से झाग निकल रहा था तथा जहर जैसी दुर्गंध आ रही थी। मृतिका ने मृत्युपूर्व बयान में बताया कि वह आवेदिका गीता देवी के घार पर पानी पिया था। उसके बाद तबियत खराब हो गई। अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में बजरंगबली मंदिर के पास सूचक की मां की मृत्यु हो गई। मृतिका ने दो साल पहले आवेदिका गीता देवी को सात लाख रूपया एवं उसकी बहन सरिता देवी को छः लाख रूपया उसके घर के सामने जमीन को खरीदने हेतु अग्रिम राशि के रूप में दी थी। जमीन बैनामा नहीं करने एवं पैसा वापस नहीं करने के कारण मृतिका बार–बार पैसा मांग रही थी। पैसा मांगने ही गीता देवी के घर गई थी। सूचक को पूर्ण विश्वास है कि गीता देवी एवं सरिता देवी द्वारा एक साजिश के तहत पानी में जहर मिलाकर उसकी मां को दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदिकागण निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदिका गीता देवी के विरूद्व महनार थाना कांड सं0–180 / 2025 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 117(2), 74, 303(2), 352(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता लंबित है जिमसें वह जमानत पर है एवं आवेदिका सरिता देवी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उभय पक्ष एक ही गांव के है और संपूर्ण मामला भूमि विवाद से संबंधित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदिकागण के पास सूचक के घर के सामने जमीन है जिस पर सूचक लगातार अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास करता है और भूमि पर कब्जा करने के इरादे से सूचक ने आवेदिकागण के घर पर भी हमला किया जिसके संबंध में आवेदिका गीता देवी के पति गणेश

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–111/2026

गीता देवी वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

05.06.2026 राय ने परिवाद सं0–2643/2025 विद्वान न्यायालय में दाखिल किया था जो अभी लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदिकागण को शीला देवी की मृत्यु में कोई भूमिका नहीं है। निवेदित है, आवेदिकागण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदिकागण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदिकागण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर सूचक की मां को पानी में जहर मिलाकर पिलाकर सूचक की मां की हत्या कर देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 05, 06, 07, 08 एवं 09 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 14 में मृतिका शीला देवी का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है जिसमें मृत्यु का कारण अस्पष्ट है। कांड दैनिकी की कंडिका 17 में मृतिका शीला देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंकित है जिसमें चिकित्सक द्वारा मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में राय संरक्षित अंगों की फोरेंसिक और विष विज्ञान संबंधी जांच रिपोर्ट आने तक सुरक्षित रखी गई है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी की पर्यवेक्षण टिप्पणी, कांड दैनिकी की कंडिका 20 से विदित होता है कि आवेदिकागण के विरूद्व उक्त कांड धारा–103(1), 123, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सत्य पाया गया है। प्राथमिकी अनुसार मृत्युपूर्व बयान में मृतिका ने स्पष्ट रूप से आवेदिका गीता देवी के घर पानी पीने की बात कही है। विसरा रिपोर्ट प्रतिक्षाधीन है। आवेदिकागण के विरूद्व अभी अनुसंधान जारी है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले में आरोप की गंभीरता को देखते हुए आवेदिकागण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदिकागण का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official